

प्रेषक,

डॉ. नीतू सिंह तोमर,

पोस्ट डॉक्टरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली,  
निवास-ताजपुर, बिधूना, जनपद औरैया, उ.प्र.।

सेवा में,

(1). अध्यक्ष / सचिव / निदेशक / उपनिदेशक,

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT).

दिल्ली-110001

(2). अध्यक्ष / सचिव,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली.110001

(3). राज्यपाल / मुख्यमंत्री / मुख्यसचिव / शिक्षासचिव / कुलपति कानपुर

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ईमेल द्वारा प्रेषित विशेष अनुरोध

**विषय: प्राचार्य-शिक्षक व शिक्षण-प्रशिक्षण विहीन कालेजों में संचालित डी.इल.इड. में मानकीय शिक्षक-शिक्षण उपेक्षा पर अंकुश हेतु महोदय,**

छ.शा.म.वि.वि.कानपुर से संबद्ध मानकीय प्राचार्य-शिक्षक विहीन डिग्री कालेजों में संचालित हो रहे डी.इल.एड पाठ्यक्रमों में मानकीय शिक्षकों व शिक्षण-प्रशिक्षण का जबरदस्त अभाव होने से छात्र-समाज का भविष्य संकटग्रस्त है। कालेजों में अराजकता, फर्जीबाड़ा, नकलठेका, अवैध वसूली, फर्जी पदासीनता, छात्र-शिक्षक पलायन पर जबरदह अंकुश हेतु निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत हैं।

1. यह कि, मैंने छ.शा.म.वि.वि.कानपुर से संबद्ध कालेजों में जाकर शिक्षण-प्रशिक्षण स्थिति-व्यवस्था देखकर प्राचार्यों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, जनता से वार्ता की तथा पाया कि अधिकांश कालेजों के प्रबंधतंत्रों में राजनीतिक-दलीय लोग पदाधिकारी-सदस्य हैं और इनके परिजन और सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध प्राचार्य सीट पर बैठकर अवैध वसूली एवं कालेज धन-सम्पति हड़पकर दुरुपयोग कर रहे हैं एवं स्ववित्तपोषी कालेजों हेतु वि.वि.से अनुमोदित प्राचार्य-शिक्षक सदैव से अनुपस्थिति-नदारत-विलोपित हैं।
2. यह कि, छ.शा.म.वि.वि. से संबद्ध कालेजों में संचालित स्ना.परास्ना.बी.एड.डी.इल.एड.मेडि.कक्षाओं में मानकीय शिक्षण नहीं हो रहा है।
3. यह कि, कालेज आकर्षक-भ्रामक विज्ञापनों से छात्रों को फंसाकर शिक्षण में उपस्थित हुए बिना उत्तीर्ण-नकल कराने की गारण्टी देकर धन वसूलते हैं और शिक्षण-प्रशिक्षण व उपस्थित कराए बिना परीक्षाओं में बिठाने-नकल कराने की गारण्टी दी जा रही है।
4. यह कि, शिक्षा-डायट-वि.वि. अधिकारियों के कालेज निरीक्षण करने की सूचना कालेजों को पहले से प्रसारित की जा रही है।
5. यह कि, डी.इल.इड. के शिक्षण हेतु रा.शै.अनु.एवं प्र.परिषद उ.प्र. द्वारा अनुमोदित शिक्षक-प्रशिक्षक संबंधित कालेजों से नदारत हैं।
6. यह कि, सत्र-सेमिस्टर अवधि में शिक्षा-डायट-वि.वि. अधिकारियों की आवभगत कर फर्जी निरीक्षण आख्या से शिक्षण-व्यवस्था दुरस्त दिखाई जा रही है एवं उड़नदस्तां द्वारा सामूहिक नकल करते पकड़े जाने पर भी आरोपी अच्छे अंकों से पास हो रहे हैं।
7. यह कि SCERT-वि.वि.से अनुमोदित शिक्षकों-प्राचार्यों को स्ववित्तपोषी कालेज मानकीय वेतन न देकर फर्जी वेतन बिल जमा करते हैं।
8. यह कि, स्ववित्तपोषी कालेजों में अनुमोदित प्राचार्य-शिक्षक कालेजों से नदारत हैं और उनकी जगह फर्जी प्राचार्य-प्रोफेसर बने हैं।
9. यह कि, छ.शा.म.वि.वि.से संबद्ध कालेजों में व्याप्त मानक उपेक्षा-अराजकता-नकल शिक्षा-छात्र हित बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं।
10. यह कि, छ.प.शा.म.वि.वि.कानपुर के पोर्टल पर अनुमोदित प्राचार्य-शिक्षक सूचियों में अधिकांश विलोपित-मृतक-अयोग्य शामिल हैं।
11. यह कि, स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता व प्राचार्यों-शिक्षकों-प्रबंधतंत्रों के अनुमोदन में दिए गए शपथपत्र भ्रमक-फर्जी हैं।
12. यह कि, छ.शा.म.वि.वि.कानपुर से संबद्ध डिग्री कालेजों की व्यवस्थाएँ, प्राचार्य-शिक्षक पदों पर अमानक मृतकों-विलोपितों-अयोग्यों का पदासीनता-अनुमोदन, प्राचार्य-प्रोफेसर सीट पर माफिया-प्रबंधक-अपराधियों की पदासीनता, अवैध वसूली, सामूहिक नकल, अध्ययन-अध्यापन उपेक्षा आदि के कारण शिक्षा और विद्यार्थी-प्रशिक्षणार्थियों का जीवन-भविष्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
13. छ.शा.म.वि.वि.कानपुर से सम्बद्ध बी.एड., ला, डी.एल.एड., मैनेजमेंट, आयुर्वेद, डिग्री कालेजों में उक्त तथ्यों के अतिरिक्त और भी अनेक अति गंभीर अनियमितताएँ व्याप्त हैं। इनका अविलम्ब भौतिक सत्यापन, औचक निरीक्षण व कार्यवाही अति आवश्यक है।
14. यह कि से स्ववित्तपोषी कालेजों हेतु वि.वि. अनुमोदित प्राचार्यों एवं शिक्षकों का सम्बन्धित कालेजों से पलायन तथा अनुमोदित प्राचार्यों-शिक्षकों की जगह अयोग्य-अमानक लोगों की पदासीनता के विरुद्ध कार्यवाही व कालेज मान्यता निरस्त होनी चाहिए।

अतः सअनुरोध सुझाव है कि, छ.प.शा.म.वि.वि. से सम्बद्ध मानकीय प्राचार्य-शिक्षक विहीन कालेजों में संचालित हो रहे डी.इल.एड पाठ्यक्रमों में मानकीय शिक्षकों व शिक्षण-प्रशिक्षण विहीनता से प्रभावित विद्यार्थियों का भविष्य पर जबाबदेह अंकुश तत्काल लगना चाहिए तथा डी.इल.एड. फर्जीबाड़ा, नकल परीक्षा, अवैध वसूली, अमानक शिक्षण, शिक्षक-छात्रों की अनुपस्थिति, फर्जी पदासीनता, अमानक शिक्षण पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए और मानकीय शिक्षकों मात्र से ही शिक्षण कराया जाना चाहिए।

दिनांक:-04-10-2019

(डॉ. नीतू सिंह तोमर)

पोस्ट डॉक्टरल फेलो, यू.जी.सी.दिल्ली,  
निवास-ताजपुर, बिधूना, जनपद औरैया, उ.प्र.।